



सन्दर्भ में:

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

दावेदार

ध्यान दें:

नियोक्ता

मामले का विवरण:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो प्रभावी है _____। इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी ("डिवीज़न") ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि \$ _____ थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि \$ _____ थी।

पूर्वदिनांकित करने के मुद्दे पर दावे को निर्णय के लिए भेजा गया। डॉकेट संख्या _____ के तहत _____ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, पता लगाने के लिए कि N.C. Gen. Stat. §96-14() के तहत दावेदार (पात्र है) (पात्र नहीं है)। (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी द्वारा अपील डॉकेट संख्या _____ के तहत सुनवाई हुई। अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: _____। अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14() के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार (पात्र है) (पात्र नहीं है) यह पता लगाने के लिए _____ तारीख को निर्णय जारी किया। (दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है।

तथ्यों से निष्कर्ष:

1. दावेदार ने _____ से _____ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है। दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है।
2. दावेदार ने नियोक्ता के लिए _____ तारीख से _____ के रूप में काम करना शुरू किया। उसने नियोक्ता के लिए आखिरी बार _____ तारीख को काम किया।
3. दावेदार का (दावा) (साप्ताहिक प्रमाणीकरण) दायर करने का तरीका _____ से था। दावेदार ने _____ से पहले _____ के कारण से अपना (दावा) (साप्ताहिक प्रमाणीकरण) दायर करने के लिए डिवीज़न से सम्पर्क नहीं किया।



□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□

N.C. Gen. Stat. § 96-15(a).

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या
पृष्ठ पांच का तीन

□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□
□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□
□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□| N.C. Gen. Stat. § 96-15(b)(1)| □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□
□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□:

- (1) लाभ के दावे के लिए समय और स्थान का नोटिस जो दावेदार के रोजगार के स्थान पर भेजा जाना चाहिए था, वह नहीं भेजा गया था;
- (2) दावेदार के नियोक्ता ने, दावेदार को लाभ के लिए दावा दायर नहीं करने के लिए मजबूर किया और दावेदार ने अपने कार्य के अंतिम दिन के 14 दिनों के बाद डीईएस के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क किया;
- (3) प्राकृतिक आपदा के कारण; या
- (4) किसी अन्य राज्य में सद्भावना में एक अमान्य दावा दायर किया गया था।

04 N.C. □□□□□. □□□□ 24B .0105.

बेरोजगारी सुरक्षा कानून में इस्तेमाल किये जानेवाला अच्छा कारण, कानून द्वारा आवश्यक किसी कार्य को पर्याप्त कर्मठता से करने में विफलता के लिए कानूनी बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए | 04 N.C. एडमिन. 24A .0105(26)|

□□□□□ □□ □□□□□□□□□:

□□□□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□
____ □□ □□□□ (□□□□□) (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□) □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
_____|
□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□
____ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ (□□) (□□□□□ □□), □□ _____ □□
□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□| □□□□□, □□□□□□□□
□□ □□ □□□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□) (□□□□□ □□□□□ □□(□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□
(□□□□□□/□□□□□□/□□□□□□(□□□□ □□□□□□| □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ (□□ □□□□□ (□□□□□ □□ □□□□□)
□□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□
)□□□□□□(□□□□□□□□(□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□:



न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और विभाग की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट: यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

महत्वपूर्ण – निम्नलिखित पृष्ठ देखें

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या
पृष्ठ पांच का पांच

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा निरीक्षित व्यक्ति हो। वकील के निरीक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों। न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए।

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किये जाने वाले सभी दस्तावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)



दावेदारों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है। यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निर्धारण भेज दिया जाएगा। यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अन्य लागू जुर्माने को निर्दिष्ट करेगा। कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से प्रतिवाद करने का एकमात्र तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर न्यायालय में इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना। आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपात्रता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निर्धारण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है।

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: